कार्यालय वन संरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.
एन.एम.व्ही. कॉलेज के सामने, नर्मदापुरम (म.प्र.)-४६१००१
E-Mail : ccf.hbd@mp.gov.in (07574) 252521

क्रमांक/मा.चि./२०२२/ 7473 नर्मदापुरम, दिनांक 28 दिसम्बर २०२२

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
(सामामन्य) वनमण्डल
नर्मदापुरम

विषय :- Additional Land for 4 laning of Harda-Betul Section of National Highway (NH-47) from Temagav km 30+000 to Chicholi km 81+000 (length-51 km) under BHARATMALA Pariyojana Economic Corridor (Phase-I) in three districts of Harda, Hoshangabad and Betul in the State of Madhya Pradesh on EPC Mode.- Request for hard copy Submission of complete Forest Diversion Proposal (FP/MP/ROAD/153796/2022) under section-2 of Forest (Conservation) Act. 1980-Reg.

संदर्भि :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./13699 नर्मदापुरम, दिनांक 14/12/2022

--//--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-47 के 4 लेन निर्माण हेतु आवेदक संस्थान, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पी.आई.यू. हरदा को सिवनी-मालवा परिक्षेत्र अंतर्गत 4.772 हेक्टेयर वनभूमि, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत उपयोग दिये जाने का प्रस्ताव (हार्ड कॉपी में) इस कार्यालय में प्रेषित किया हैं।

उक्त प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्नानुसार कमियां परिलक्षित हुई हैं :-

1- प्रस्ताव में, जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाने वाला एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं हैं। प्रस्ताव के साथ एफ.आर.ए. का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे।

2-परियोजना में नर्मदापुरम वनमण्डल के प्रभावित होने वाले कक्ष क्रमांक-362 की, सतपुडा-मेलघाट टाईगर कॉरीडोर से दूरी का गूगल मैप पर मिलान किया गया, जिसमें कॉरीडोर से उक्त कक्ष में प्रस्तावित मार्ग की दूरी 0.64 कि.मी. प्रदर्शित हो रहीं हैं, जो कि 1 कि.मी. के भीतर हैं, परंतु आपके द्वारा भाग-2 की पूर्ति में प्रस्तावित क्षेत्र को कॉरीडोर से 1 कि.मी. के बाहर होना उल्लेखित किया गया हैं। भाग-2 में संशोधन किया जावे।

3-प्रकरण में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-20 में **रेल्वे लाईन** का उल्लेख किया गया हैं। जबकि उक्त प्रस्ताव सडक चौडीकरण हेतु प्रस्तावित हैं। इस संबंध में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन किया जावे।

4-प्रस्ताव के साथ संलग्न अंडरटेकिंग प्रारूप प्रमाण-पत्र (नेट प्रेजेंट वेल्यू के भुगतान के संबंध में) में आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रारूप पर हस्ताक्षर किये जावे।

5-प्रस्ताव के साथ संलग्न अंडरटेकिंग प्रारूप प्रमाण-पत्र (प्रतिपूरक वनीकरण के भुगतान के संबंध में) में आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रारूप पर हस्ताक्षर किये जावे।

6-आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव की हार्ड-कॉपी प्रेषित की गई हैं, किन्तु उक्त प्रस्ताव में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन पूर्ति नहीं की गई हैं, जिस कारण प्रस्ताव आपके स्तर पर अदिनांक तक लंबित प्रदर्शित हो रहा हैं। इस स्थिति में इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा। अत: परिवेश पोर्टल पर तत्काल ऑनलाईन पूर्ति किया जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति किये जाने हेतु मूलत: प्रस्ताव 05 प्रतियों में आपकी ओर भेजा जा रहा हैं। पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित किया जावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तनुसार प्रस्ताव मूलत: 05 प्रतियों में

(एस.के.एस. तिवारी)
वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.

पृ.क्र क्रमांक/मा.चि./२०२२/ 7474 नर्मदापुरम, दिनांक 28 दिसम्बर २०२२

प्रतिलिपि :- १. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र., भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/3796 दिनांक 11/11/2022 के तारतम्य में संप्रेषित।

२.परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पी.आई.यू. हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम म.प्र.
28/12